

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024 / 424

मुकदमा नम्बर 167 / 2024

दावा दर्ज दिनांक—18.09.2024

1. केदार दत्तक पुत्र श्री दुर्गालाल
1. सारा देवी पत्नी दुर्गालाल समस्त जाति माली, निवासी ग्राम सैनीपुरा तन
डुण्डलोद, तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू

—वादी

बनाम

1. रेखाराम पुत्र दूदाराम जाति माली निवासी सैनीपुरा तन डुण्डलोद, तहसील नवलगढ़,
जिला झुझुनू
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़, जिला
झुझुनू

—प्रतिवादी

दावा – घोषणार्थ व नक्शा दुरुस्ती

वकील वादी : — श्री संदीप कुमार सैनी
प्रतिवादी सं. 1 :- श्री कृष्ण गुर्जर
प्रतिवादी सं. 2 :- पैरो. राज.

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 12.09.2025

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम सैनीपुरा पटवार हल्का डुण्डलोद की सरहद में नई खाता सं. 25 पुराना खाता सं. 21 की भूमि खसरा नं. 86 रकबा 0.32 है0 भूमि विभाजन के दौरान वादीगण के हिस्से में आई तथा खसरा नं. 110/86 रकबा 0.64 है0 प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में आई है। जिसका नक्शा वादपत्र के साथ संलग्न है। अतः उक्त भूमि का राजस्व नक्शा कब्जे काश्त के अनुसार दुरुस्त किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी कि जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की और से जरिये वकील उपस्थित हो वाद वादी स्वीकार किये जाने में सहमति व्यक्त की गई। प्रतिवादी सं. 2 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो किसी प्रकार का उजर एतराज व्यक्त नहीं किया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

बहस पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील वादी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकूलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी अपनी विवादित भूमि में खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड/नक्शा दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। इसलिये वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से वाद पत्र के साथ संलग्न स्वयं के पेश शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

राजस्व ग्राम सैनीपुरा पटवार हल्का डुण्डलोद की सरहद में नई खाता सं. 25 पुराना खाता सं. 21 की भूमि खसरा नं. 86 रकबा 0.32 है0 भूमि विभाजन के दौरान वादीगण के हिस्से में आई तथा खसरा नं. 110/86 रकबा 0.64 है0 प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में आई है। जिसका नक्शा वादपत्र के साथ संलग्न है। अतः उक्त भूमि का राजस्व मौके पर कब्जे काश्त व रिकार्ड में दर्ज रकबे अनुसार दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ़ उक्तानुसार आवश्यक अमलदरामद करे। सुलभ संदर्भ हेतु वाद व उसके साथ संलग्न नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री सुशील कुमार सैनी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2024/424

मुकदमा नम्बर 167/2024

दावा दर्ज दिनांक-18.09.2024

- 1 केदार दत्तक पुत्र श्री दुर्गालाल
- 2 सारा देवी पत्नी दुर्गालाल समस्त जाति माली, निवासी ग्राम सैनीपुरा तन डुण्डलोद, तहसील नवलगढ, जिला झुझुनूं

-वादी

बनाम

1. रेखाराम पुत्र दूदाराम जाति माली निवासी सैनीपुरा तन डुण्डलोद, तहसील नवलगढ, जिला झुझुनूं
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुनूं

-प्रतिवादी

दावा - घोषणार्थ व नक्शा दुरुस्ती

(डिक्री)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री सुशील कुमार सैनी (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से वाद पत्र के साथ संलग्न स्वयं के पेश शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

राजस्व ग्राम सैनीपुरा पटवार हल्का डुण्डलोद की सरहद में नई खाता सं. 25 पुराना खाता सं. 21 की भूमि खसरा नं. 86 रकबा 0.32 है0 भूमि विभाजन के दौरान वादीगण के हिस्से में आई तथा खसरा नं. 110/86 रकबा 0.64 है0 प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में आई है। जिसका नक्शा वादपत्र के साथ संलग्न है। अतः उक्त भूमि का राजस्व मौके पर कब्जे काश्त व रिकार्ड में दर्ज रकबे अनुसार दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ उक्तानुसार आवश्यक अमलदरामद करे। सुलभ संदर्भ हेतु वाद व उसके साथ संलग्न नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह.....-.....
.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12 माह 09 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00